FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला–चित्तौड़गढ़

किशन .... बनाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुन्नीलाल

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र न. 57 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
7-9.2021	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री दुर्गेश जोशी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र/वाद पत्र के प्रकरण में फाइल किये गये आवेदन को पढ़ने के पश्चात और उसके समर्थन मे प्रस्तुत किये गए दस्तावेज, नकल जमाबन्दी व शपथ–पत्र का अवलोकन करने के पश्चात, वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा, सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित मानते हुये स्थगन बाबत् आदेश है कि, विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तिथि तक पाबंद किया जाता है कि, मौजा घोड़ाखेड़ा पटवार हल्का नाड़ाखेड़ा में स्थित खाता संख्या 2 में वर्णित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 3 में वर्णित आराजी कुल किता 31 कुल रकबा 64 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 54 में वर्णित आराजी कुल किता 1 कुल रकबा 01 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 69 में वर्णित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 77 में वर्णित आराजी कुल किता 19 कुल रकबा 48 बीघा 03 बिस्वा व खाता संख्या 86 में वर्णित आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी होकर संयुक्त खातेदारी की है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/6 हक हिस्सा है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, विक्रय दान, रहन, हस्तानान्तरण किसी भी व्यक्ति को नही करें न किसी से करावे। दखलअन्दाजी नही करें। उक्त वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसमे यदि कोई वजह रखते हो तो दिनांक 8/10/2021 को समय प्रातः 10:00 बजे न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अनुपस्थिति की दशा मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यह हुक्मनामा आज दिनांक 7.9.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायांलय मुद्रा से जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी, डूंगला	

Scanned by CamScanner